HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 12956/2026
CNR: RJHC020669882026 | URN: CW / 28329U / 2026

1. Kusam D/o Omprakash, Aged About 18 Years, R/o-Ward No. 11, Loharu, Bhiwani, Haryana. At Persent- Village Dundload, Tehsil Nawalgarh, District Jhunjhunu (Raj)
2. Dilip S/o Chandrakant, Aged About 25 Years, R/o - Nayako Ka Mohalla, Ward N0. 02, Fatehpur, Sikar, District-Sikar (Raj)

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Principal Secretary, Home Department, Government Secretariat, Jaipur.
2. The Director General Of Police, Rajasthan, Jaipur.
3. Suprintendent Of Police, Jhunjhunu, District Jhunjhunu, Rajasthan.
4. Suprintendent Of Police, Sikar, District Sikar, Rajasthan.
5. S.h.o. Police Station, Mukundgarh, District Jhunjhunu, Rajasthan.
6. Omprakash S/o Ramkumar, Aged About 47 Years, R/o-Ward No. 11, Loharu, Bhiwani, Haryana.
7. Manju Devi W/o Omprakash, Aged About 45 Years, R/o-Ward No. 11, Loharu, Bhiwani, Haryana.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Abhishek Choudhary Mr. Hemraj Bairwa
For Respondent(s)	:	Mr. Rajendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

23/07/2026

यह रिट याचिका याचीगण की ओर से अयाची संख्या 6 व 7 की ओर से उन्हें जान एवं स्वतंत्रता का खतरा पैदा करने की धमकियां मिलने के कारण अयाची

संख्या–1 लगायत 5 को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए जाने हेतु प्रस्तुत की है।

दोनों पक्षों को याचिका पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याचीगण का तर्क है कि याचिकाकार वयस्क हैं तथा याची संख्या–1 कुसुम की जन्म तिथि 28.12.2007 एवं याची संख्या–2 दिलीप की जन्म तिथि 11.11.2000 है, जो कि क्रमशः उनके जन्म प्रमाणपत्र व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका की प्रति से स्पष्टतः प्रकट हो रही है। इस प्रकार से वे दोनों वयस्क हैं और उन्होंने आर्य समाज झोटवाड़ा में दिनांक 10.06.2026 को विवाह कर लिया है तथा दिनांक 10.06.2026 को विवाह का पंजीकरण नगर निगम जयपुर में करवा लिया है। उनका तर्क है कि याचीगण विवाह के बाद शांतिपूर्वक निवास कर रहे हैं तथा अयाची संख्या 6 व 7 जो कि याची संख्या–1 के पिता व माता हैं, उनके इस विवाह से खुश नहीं हैं और धमकियां दे रहे हैं। उक्त अयाचीगण से याचीगण को जान एवं स्वतंत्रता का खतरा है। उनका यह भी कथन है कि उन्होंने न्यायालय में यह याचिका प्रस्तुत करने से पूर्व अयाची संख्या–3 व 5 पुलिस अधीक्षक, जिला–झुंझुनूं व थानाधिकारी, पुलिस थाना मुकुन्दगढ़, जिला–झुंझुनूं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पत्र पंजीकृत डाक से भिजवा दिया है, जो परिशिष्ट–5 है। अतः याचीगण को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त याचिका का विरोध किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने विवाहित जोड़ों की सुरक्षा के सम्बन्ध में न्यायिक विनिश्चय प्रकाश सिंह एवं अन्य–बनाम–यूनियन ऑफ इण्डिया में निर्देश दिए हैं तथा अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिश्चय लता सिंह–बनाम–उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 2006 एससी 2522, एस. खुशबू–बनाम–कन्नाईम्मल 2010 (5) एससीसी 600, इन्द्रा सरमा– बनाम–वीकेवी सरमा (2013) 15 एससीसी 755 तथा शफीन जहान–बनाम–असोकन केएम एवं अन्य (2018) 16 एससीसी 368 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति अपनी इच्छानुरूप रहने को स्वतंत्र है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने का किसी को अधिकार नहीं है। वे कानून के अंतर्गत अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण प्राप्त करने के

अधिकारी हैं, भले ही दो वयस्क व्यक्तियों के आपसी सम्बन्ध असामाजिक माने जावें। इसके अतिरिक्त राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 29 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों के जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करे।

हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थतियों में याचीगण के कथनों की सद्भाविकता व सत्यता के संबंध में कोई टिप्पणी व निष्कर्ष दिये बिना तथा उक्त विधिक स्थिति को देखते हुए अयाची संख्या–1 लगायत 5 को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे याचीगण की ओर से अयाची संख्या–3 व 5 को प्रेषित पत्र परिशिष्ट–5 को विचार (consider) में लाएं व याचीगण की कथित असुरक्षा के संबंध में आकलन के पश्चात् असुरक्षा का तत्व पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कर याचीगण के जीवन व स्वतंत्रता को किसी प्रकार की क्षति/हानि कारित नहीं होना सुनिश्चित करें।

तद्नुसार याचिका एवं विविध प्रार्थनापत्र, यदि कोई लम्बित हो, तो निस्तारित किये जाते हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचीगण के विरूद्ध लम्बित या प्रस्तुत होने वाली किसी दीवानी/आपराधिक कार्यवाही को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा एवं ऐसी कार्यवाही विधि अनुसार सम्पादित की जाएगी।

(SHUBHA MEHTA),J

18/VISHAL SHARMA